

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही गय इनिशियल जज	नाम्बर व अहकाम हुक्म की तारीख में जारी हुआ
8/1/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपाधित                      श्री परिवारी सेख्या 4 का मोटिल बड़                      तामिल सोलन श्री जवाबद सूचना के                      अनुपालित होने के कारण परिवारी सं.                      4 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है।                      परिवारी सेख्या 8 का Rev Ad तलबना                      पेश करने पर तलबी जाती है। पत्रावली                      दिनांक 14-2-25 को पेश है।</p>	
14-2-25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकरण उपस्थित है। श्रीमान                      फेटिसीन अधिकारी महोदय वारे/ अवकाश/ अन्य                      राजकर्म में तुरंत रक्त है। पत्रावली दि 7-5-25                      को पेश हो।</p>	
7/5/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण को रूक-रूक कर                      उबार आवाजे लगायी गई। पत्रावली में ना तो वादीगण                      उपाधित हुआ और ना ही वादीगण अभिभावक उपाधित                      हुए। कोट समाप्ति तक श्री उरी वादीगण अथवा वादीगण                      अभिभावक उपाधित नहीं होने से पत्रावली अग्रवर्ती,                      अग्रपत्रावली में खारिज की जाती है। पत्रावली नैसल शुमार                      होकर नम्बर से कुं होकर दाखिल कर दी।</p>	